IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, February 2023
Impact Factor: 7.301

स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं के मध्य मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन

डॉ. चक्रमणि गुप्ता
सहायक प्राध्यापक (विधि)
पं. रामसुन्दर महाविद्यालय, पहड़िया, रीवा (म.प्र.)

शोध सारांशः मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। भले ही उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, वर्ग, जाति, व्यवसाय और सामाजिक–आर्थिक स्थिति कुछ भी हों अर्थात् जो अधिकार मानव गरिमा को बनाये रखने के लिए आवश्यक है उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। ये अधिकार सभी व्यक्तियों के लिये आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होते हैं। मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक एवं भौतिक कल्याण में सहायक सिद्ध हुये हैं। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरुकता का अध्ययन करना है। मानवाधिकार के प्रति जागरुकता को जानने हेतु स्नातक स्तरीय छात्राओं को उनके शहरी एवं ग्रामीण परिवेश को आधार बनाया गया है। शोध विषय को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

मुख्य शब्दः ''स्नातक, स्तर, अध्ययनरत, छात्राओं, मध्य, मानवाधिकार, शिक्षा, जागरूकता शहरी, ग्रामीण आदि।

प्रस्तावनाः

वैश्वीकरण के इस दौर में विश्व के विकास में मानवाधिकारों की विचारधारा व्यवहारिक तथा सैद्धान्तिक रूप में है। मनुष्य संसार का सबसे विवकेशील एवं बुद्धिमान प्राणी है जिसको जन्म से ही कुछ ऐसे आधारभूत अधिकार प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति की गरिमा, अस्तित्व तथा स्वतन्त्रता के अनुरूप हैं। ये व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भौतिक कल्याण में सहायक सिद्ध हुये हैं। इन अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने विकास की कल्पना नहीं कर सकता। मानवाधिकारों से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो मानवीय जीवन में व्यक्ति के अस्तित्व एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और संविधान द्वारा मानव को प्रदान किए गए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, कानूनी तथा सांस्कृतिक विभिन्न अधिकारों के क्षेत्रों से सम्बन्धित है। भारत विश्व का सबसे बडा लोकतान्त्रिक देश है और एक सफल लोकतन्त्र के लिए जिस प्रकार सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है उसी प्रकार उसके लिए एक सभ्य एवं जागरुक समाज की आवश्यकता होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार एक ज्वलन्त एवं महत्वपूर्ण समस्या है। इसके संरक्षण एवं रक्षा के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकार शिक्षा प्रदान की जाए। जिससे वह अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का सही से पालन कर सके एवं लोगों को जागरूक कर सके।

वर्तमान में मानव अधिकारों का मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय है। अतः मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संबर्धन हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गयी और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को "सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा–पत्र" को अंगीकृत किया गया। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) व उसके संशोधित स्वरुप 1992 में भी मानवाधिकारों को विशेष महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि "राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। यह हमारे सर्वांगीण विकास, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आधारभूत्

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, February 2023
Impact Factor: 7.301

है।" मानवीय गरिमा के सम्पूर्ण विकास के साथ–साथ इसकी परिधि में दूसरों के अधिकारों के संरक्षण का भाव हमेशा विद्यमान रहा है।

समस्या की उत्पत्ति –

शिक्षा ही एक मात्र ऐसा साधन है जो किसी भी व्यक्ति को अन्याय और दुराचार के प्रति जागरूक और लडने के लिए प्रेरित करती है। अर्न्तराष्ट्रीय संस्थान जैसे यूनीसेफ आई0 एल0 ओ0 ने बच्चों की शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा छात्र एवं छात्राओं में सामाजिक चेतना तथा न्याय के गुण को आसानी से स्थापित किया जा सकता है परन्तु छात्राओं में मानवाधिकारों की शिक्षा के प्रति जागरूकता होना अन्यन्त आवश्यक है, जिससे उनके प्रति होने वाले अनुचित व्यवहारों और अत्याचारों को कम किया जा सके। मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता से संबंधित साहित्य के अध्ययन उपरांत यह महसूस किया कि युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति कम जागरुक है जिस कारण सरकार द्वारा प्रदत्त अनेक क्षेत्रों से संबंधित सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं और जिससे देश की प्रगति आर्थिक व्यवस्था और सामाजिकरण आदि प्रभावित होती है। दसूरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब तक उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् विद्यार्थी मानव अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि राष्ट्र अपने संविधान में लिखित सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति कर पायेगा।

शोध साहित्य का अध्ययन –

प्रस्तुत शोध अध्ययन से सम्बन्धित पूर्व में कुछ शोध कार्य किये गये जो निम्नवत् है– **कौर, एस0 (2006)** ने माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थिओं की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का अध्ययन" किया और पाया कि ग्रामीण छात्रों की तुलना में शहरी छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता अधिक है।

कटोच, एस0 के0 (2012) ने "हिमाचल प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का अध्ययन" किया और पाया कि पुरुष प्रशिक्षुओं की अपेक्षा महिला प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता कम है तथा शहरी माध्यमिक प्रशिक्षुओं की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता ग्रामीण माध्यमिक प्रशिक्षुओं से अधिक है।

दुबे, (2014) ने "मानवाधिकारों का महिला जागरुकता के विषय में अध्ययन" किया और निष्कर्ष में पाया कि महिलाएं सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निभाने के बाद भी अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती है।

शशिकला, वी0 तथा फ्रांसिस्को, एस0 (2016) ने"महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन" किया और पाया की कला वर्ग के महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता विज्ञान वर्ग के महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों से अधिक है। वर्तमान में मानव अधिकारों का मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय है।

राणा, डी0एस0 (2017) ने "बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन" किया और पाया की पुरूष बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों से अधिक है तथा कला वर्ग के बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता विज्ञान वर्ग के बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों से कम है। सभी सन्दर्भित शोध अध्ययनों से विदित होता है कि मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता का कई परिप्रेक्ष्यों में अध्ययन किया गया है। अतः इस शोध पत्र के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता को जानने का प्रयास किया गया है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, February 2023
Impact Factor: 7.301

अध्ययन के उद्देश्य:

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

1. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों के दस्तावेजों के प्रति ज्ञान की जागरूकता की तुलना करना।
2. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों की अवधारणा का ज्ञान व समझ के प्रति जागरूकता की तुलना करना।
3. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन व पालन की समझ में तुलना करना।

अध्ययन की परिकल्पना :–

1. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों के दस्तावेजों के प्रति ज्ञान की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों की अवधारणा का ज्ञान व समझ की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा पालन की समझ के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

प्रस्तुत शोध पत्र में परिकल्पनाओं की व्याख्या को स्पष्ट करते हुए लेख निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक 1: स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों के दस्तावेजों के प्रति ज्ञान की जागरूकता

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	होती है	25	50
2.	नहीं होती	20	40
3.	पता नहीं	5	10
	योग	50	100

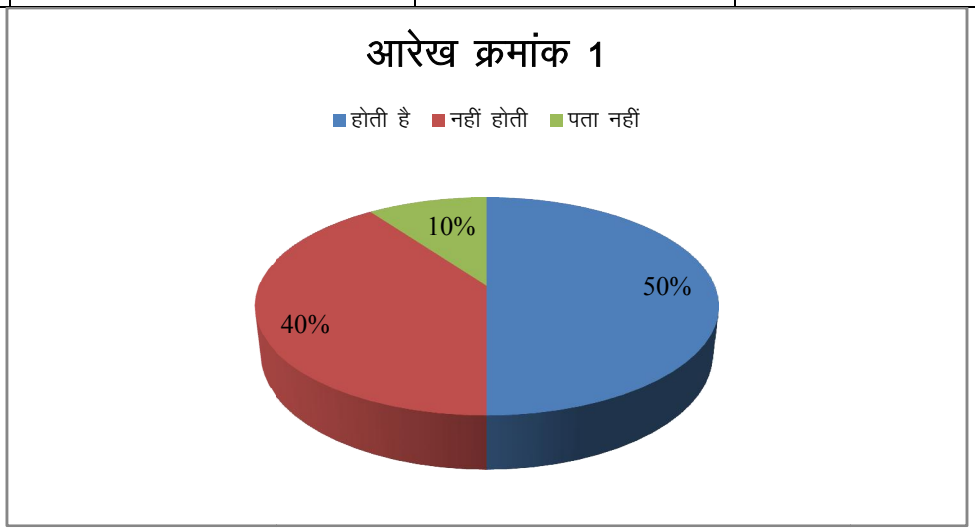

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, February 2023
Impact Factor: 7.301

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार में शामिल कुल न्यादशों की संख्या 50 में से 25 (50 प्रतिशत) उत्तर दाताओं ने कहा कि स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों के दस्तावेजों के प्रति ज्ञान की जागरूकता होती है, 20 (40 प्रतिशत) उत्तर दाताओं ने कहा कि स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों के दस्तावेजों के प्रति ज्ञान की जागरूकता नहीं होती है जबकि 5 (10 प्रतिशत) उत्तर दाताओं ने कहा कि जागुरूकता के विषय में पता नही है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 50 प्रतिशत स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों के दस्तावेजों के प्रति ज्ञान की जागरूकता की जानकारी रखते हैं।

तालिका क्रमांक 2: स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों की अवधारणा का ज्ञान व समझ की जागरूकता

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	होती है	29	58
2.	नहीं होती	18	36
3.	पता नहीं	03	6
	योग	**50**	**100**

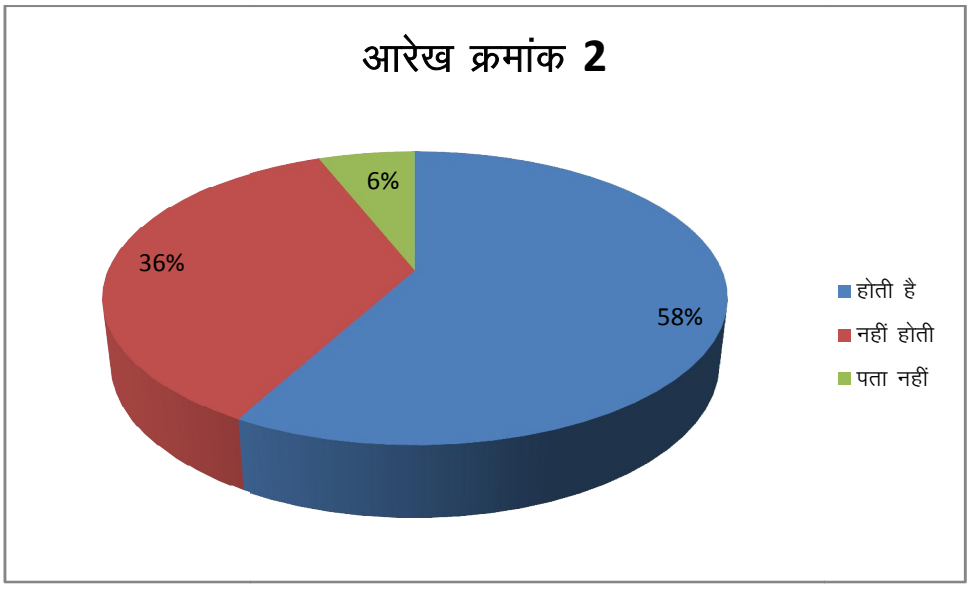

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार में शामिल कुल न्यादशों की संख्या 50 में से 29 (58 प्रतिशत) उत्तर दाताओं ने कहा कि स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों की अवधारणा का ज्ञान व समझ की जागरूकता होती है, 18 (36 प्रतिशत) उत्तर दाताओं ने कहा कि स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों की अवधारणा का ज्ञान व समझ की जागरूकता होती है, जबकि 3 (6 प्रतिशत) उत्तर दाताओं ने कहा कि स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों की अवधारणा का ज्ञान व समझ की जागरूकता होती है,

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, February 2023
Impact Factor: 7.301

निष्कर्षत:

कहा जा सकता है कि 58 प्रतिशत स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों के दस्तावेजों के प्रति ज्ञान की जागरूकता की जानकारी रखते हैं।

तालिका क्रमांक 3: स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा पालन की समझ के प्रति जागरूकता

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	होती है	21	42
2.	नहीं होती	25	50
3.	पता नहीं	04	08
	योग	**50**	**100**

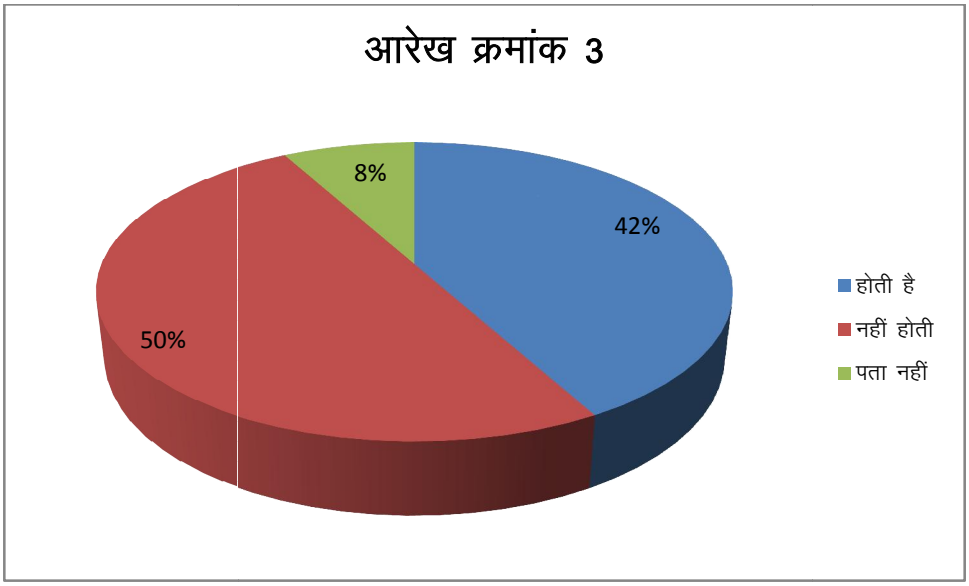

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार में शामिल कुल न्यादशों की संख्या 50 में से 21 (42 प्रतिशत) उत्तर दाताओं ने कहा कि स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा पालन की समझ के प्रति जागरूकता होती है, 25 (50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा पालन की समझ के प्रति जागरूकता होती है, जबकि 04 (08 प्रतिशत) उत्तर दाताओं ने कहा कि स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा पालन की समझ के प्रति जागरूकता होती है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा पालन की समझ के प्रति जागरूकता होती है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, February 2023
Impact Factor: 7.301

निष्कर्ष

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अध्ययन का मुख्य उद्देश्य स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना था। निष्कर्षों से यह ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्र की छात्राओं में ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की अपेक्षा मानवाधिकार शिक्षा के तीनों क्षेत्रों में अधिक जागरूकता पायी गयी है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की जागरूकता औसत स्तर तक पायी गयी है, परन्तु समाज की वर्तमान परिस्थितियों और महिलाओं के अधिकारों के हनन तथा अत्याचारों को देखने से यह प्रतीत होता है कि यह जागरूकता सिर्फ जानकारी तक ही सीमित है अर्थात् सैद्धान्तिक हैं। इसे छात्रायें अपने सामान्य जीवन में उपयोग मे नहीं ला पाती है, या उनके उचित उपयोग की सही जानकारी उन्हें नहीं हो पाती है।

सुझावः

1. शिक्षा के द्वारा ही किसी देश और समाज को उचित दिशा प्रदान की जा सकती है और किसी भी बात को सामान्य जनमानस तथा महिलाओं तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है।मानवाधिकार शिक्षा को विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में सम्मलित किया जाना आवश्यक है।
2. इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को समय–2 पर मानवाधिकारों से सम्बन्धित कार्यक्रमों जैसे– सेमिनार, वर्कशॉप, सम्मेलनों में सक्रिय रूप से सम्मिलित होकर स्वंय तथा समाज को जागरूक करें जिससे कि वे मानवाधिकारों के हनन सम्बन्धी मामले में स्वप्रेरित हो अर्थात अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें।
3. वर्तमान समय में भी अज्ञानतावश और उचित शिक्षा के अभाव में महिलायें रूढियों की जजींरों में जकड़ी हुयी है और चाहकर भी अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए आवाज नहीं उठा पाती है, अतः आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा के अधिकार को समझे अनपढ बेटियों को भी उचित शिक्षा दिलायें तभी पूरा लाभ उठाया जा सकता है और महिलाओं में जागरूकता लाकर सुधार लाया जा सकता है।
4. आज भारतीय समाज की सबसे गम्भीर समस्या यह है कि प्रत्येक को समान रूप से अधिकार कैसे मिले, विशेष रूप से महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सजग और जागरूक कैसे बनाया जाय जिससे समाज सन्तुलित रूप में उन्नति कर सके। इस गम्भीर समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब महिलाओं की शिक्षा को अनिवार्य समझा जाये और मानवधिकार विषय को उच्च माध्यमिक स्तर एवं स्नातक पर अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया जाय। जिससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते है–छात्र–छात्राओं को मानवधिकारो का उचित तथा सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा।
5. इसके अतिरिक्त समय पर महिलाओं को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने तथा जागरूक बनाने के लिए सेमिनार, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों तथा लघु नाटिकाओं के माध्यम से मानवाधिकार के हनन को रोकने के लिए कौन सी उचित कार्यवाही की जा सकती है, प्रदर्शित किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

[1]. बेस्ट जॉन डब्ल्यू0, (1982): "रिसर्च इन एजूकेशन", प्रेन्टाइस हॉल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लि0, न्यू दिल्ली, 1982।

[2]. कटोच,एस0के0 (2012): "हिमांचल प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार का अध्ययन" हिमालयन जनरल ऑफ कान्टेम्पोरेरी रिसर्च आई0 एस0 एस0 एन0 2319 – 3174 वाल्यूम (1), अंक–2, जुलाई –दिसम्बर

(2012)।

[3]. कुलश्रेष्ठ, एस0 (2003): "अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यक्ति और मानवाधिकार" ए जर्नल आफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेन्ट मरुैना, वाल्यूम (3), अंक 4, अक्टबूर–दिसम्बर 2003।

[4]. कौर, एस0 (2006): माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थिओं की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का अध्ययन" लघु शोध प्रबन्ध एम0 फिल0 हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला, 2006।

[5]. गैरिट, एच0 ई0, (199): शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी, कल्याणी पब्लिशर्स, लुधियाना। दीक्षित, ए0के0 (2010): "मानवाधिकार और शिक्षा", नई शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक मासिक पत्रिका, जयपुर, वर्ष (59), अंक–6, जनवरी 2010,

[6]. दुबे, आर0 (2014): "मानवाधिकार तथा महिला जागरुकता" ए जर्नल आफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेन्ट, मुरैना, वाल्यूम (14), अंक–001, 2014

[7]. पाण्डेय रामशुक्ल, (2008): मानवाधिकार और मूल्य शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

[8]. मल्होत्रा,एम0 (2013) : "महिला अधिकार और मानव अधिकार", ज्ञान गंगा प्रकाशक, भानु प्रिंन्टर्स, दिल्ली, पृ0स ंख्या–136–137।

[9]. मिश्रा एम0के0 (2011): मानवाधिकार एव ं सामाजिक न्याय, एजूकेशनल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, लक्ष्मी नगर दिल्ली।

[10]. राणा, डी0 एस0 (2017): "बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन "पीरिओडिक रिसर्च जरनल ,वॉल्यूम –5, अकं–2, आई0 एस0 एस0 एन0 एन0; पी0–2231–05, ई0–2349–9435, मई 2017,

[11]. लाल ,आर०बी० (2013): भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, आर0 लाल बुक डिपो मरे ठ, 2013।

[12]. शशिकला, वी0 तथा फ्रांसिस्को, एस0 (2016) : "महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन" इन्टरनेशल जरनल ऑफ टीचर एजूकेशन रिसर्च (आई0जे0टी0ई0आर0) वॉल्यूम 5, नं0 3, मार्च–अगस्त 2016,